अपील सूचना अधिकार संख्या 39/2022 (GCMS 2022/171)(आईटीआई पोर्टल नं. 212337707474646) श्री कमलेश मीणा निवासी मकान सं. 2/124, न्यू हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सूरतगढ (मोबाईल नं. 97997-32700) बनाम निर्वाचन पंजीयन पदाधिकारी (एसडीएम), सूरतगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.07.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी कमलेश मीणा स्वयं उपस्थित नहीं हुए। अपीलार्थी ने कथन किया कि उसने निर्वाचन पंजीयन पदाधिकारी (एसडीएम), सूरतगढ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (एसडीएम), सूरतगढ ने अपने पत्र दिनांक 17.05.2022 से सूचना देने से स्पष्ट मना कर दिया जो कि लोकहित के विरूद्ध है क्योंकि निर्वाचित पार्षद जिसका परिवार एससी की श्रेणी में आता है एवं वार्ड नं. 9 सूरतगढ का रहने वाला है जिसने विधि विरूद्ध अनुसूचित जनजाति में लाभ लेने के लिए अनुसुचित जनजाति का प्रमाण पत्र कार्यालय तहसीलदार, सादुलहशर द्वारा दिनांक 31.07.2014 के द्वारा जारी करवाया लिया है। इसलिए उसने निर्वाचन पंजीयन पदाधिकारी (एसडीएम), सूरतगढ से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा निर्वाचक पंजीयन पदाधिकारी (एसडीएम), सूरतगढ से निम्न सूचना चाही थी:

> श्री रोहिताश होटला पार्षद वार्ड नं. 45 के निर्वाचन के समय उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड की सत्यापित प्रतियां

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:16:21 IST
Reason: SelfAttested

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), सूरतगढ ने अपने पत्र क्रमांक चुनाव/2022/193 दिनांक 22.06.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में निम्नानुसार निवदन है कि :

1. यह कि प्रार्थी श्री कमलेश मीणा द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इस कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19.04.2022 को प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा नगरपालिका आम चुनाव 2019 में वार्ड नं. 45 के पार्षद पद के अभ्यर्थी श्री रोहिताश होटला द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों यथा – जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वोटर आईडी आदि की सत्यापित प्रतिया चाही गई थी।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना तृतीय पक्षकार से संबंधित होने के कारण उक्त सूचना/दस्तावेज देने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 168 दिनांक 13.05.2022 द्वारा संबंधित पक्षकार श्री रोहिताश कुमार होटला से सहमति/असहमति चाही गई थी। **श्री रोहिताश कुमार होटला द्वारा लिखित में असहमति प्रकट की गई**
3. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में **वांछित सूचना तृतीय पक्षकार से सम्बन्धित होने श्री रोहिताश होटला द्वारा असहमत प्रकट करने तथा वांछित दस्तावेज में जाति प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड की छायाप्रति कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध होने के कारण देय नहीं होने से इस कार्यालय के पत्रांक 169 दिनांक 17.05.2022 द्वारा प्रार्थी को [illegible] दिया गया। उक्त पत्र दिनांक 17.05.2022 की प्रति मय [illegible] पत्र संलग्न जवाब हैं**
4. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना तृतीय पक्षकार से सम्बन्धित होने पर तृतीय पक्षकार (श्री रोहिताश होटला) द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:16:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

असहमति प्रकट करने तथा कार्यालय अभिलेख में वांछित दस्तावेज– जाति प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड की छायाप्रति उपलब्ध होने के कारण देय नहीं होने से प्रार्थी को सूचना नहीं दी गई है, तथा इस सम्बन्ध में प्रार्थी को विधिवत् रूप से सूचित किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज योग्य हैं

5. यह कि **प्रार्थी द्वारा अपील में अंकित अन्य अरोपों यथा– जाति प्रमाण पत्र की वैद्यता, अनुचित लाभ लेने आदि की जांच अलग से प्राप्त शिकायत प्रकरण में तहसीलदार सूरतगढ व सादुलशहर से करवाई जा रही है। शिकायत प्रकरण में अंकित उक्त आरोपों के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर नियमानुसार निस्तारण किया जावेगा।**

अतः अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना तृतीय पक्षकार से सम्बन्धित होने, कार्यालय अभिलेख में छायाप्रति होने व तृतीय पक्षकार द्वारा उसके व्यक्तिगत दस्तावेजों की सत्यापित प्रति जारी करने में असहमति प्रकट करने के कारण नियमानुसार देय नहीं होने से प्रार्थी की अपील खारिज फरमावें।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

-sd-

Signature Not Verified

(कपिल कुमार यादव)
[illegible] पदाधिकारी
(एस.डी.एम.) सूरतगढ़

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:16:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

निर्वाचक पंजीयन पदाधिकारी, एस.डी.एम. 4--सूरतगढ ने अपने पत्रांक से 169 दिनांक 17.05.2022 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया है :

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नगरपालिका चुनाव–2019 के अन्तर्गत नगरपालिका, सूरतगढ के वार्ड सं. 45 के पार्षद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी श्री रोहिताश होटला द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की सत्यापित प्रति चाही गई थी। आप द्वारा चाही गई सूचना तृतीय पक्षकार से संबंधित होने, श्री रोहिताश होटला द्वारा सूचना प्रदान हेतु असहमति प्रकट करने तथा वांछित दस्तावेजों में जाति प्रमाण पत्र, वोटर आई.डी., आधार कार्ड की छायाप्रति उपलब्ध होने के कारण देय नहीं है। सूचित रहें।
>
> -sd-
>
> (कपिल कुमार यादव)
> निर्वाचक पंजीयन पदाधिकारी
> एस.डी.एम. 04 – सूरतगढ़

निर्वाचक पंजीयन पदाधिकारी (एस.डी.एम.), सूरतगढ़ द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार सूचित किया जा चुका है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दू[illegible] है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्न[illegible] **तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं [illegible] संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूच[illegible] के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:16:21 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते**। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है और निर्वाचक पंजीयन पदाधिकारी (एसडीएम) सूरतगढ द्वारा अपीलार्थी को जवाब दिया है वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने योग्य हैं**

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **निर्वाचक पंजीयन पदाधिकारी (एसडीएम) सूरतगढ़** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रकरण में अंकित आरोपों की जांच अलग से जारी रखी जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:16:21 IST
Reason: SelfAttested

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर